(घ) विभिन्न कोर्सों में भर्ती के लिये उम्मीदवार राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालय आदि द्वारा उनके कर्मचारियों तथा उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों में से ही भेजे जाते हैं। यदि फिर भी कुछ स्थान बच जाएं तो वे उन प्राइवेट उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मंगवा कर भरे जाते हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

(ङ) भारत सरकार कालेज से पास करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने का आश्वासन नहीं देती है किन्तु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन आग बुझाने की सेवाओं में इन प्रशिक्षित व्यक्तियो को नियुक्त करें। आग बुझाने की सेवाओं के विभिन्न पदों के वेतन क्रम हर एक राज्य मे अलग अलग हैं।

अखिल भारतीय सेवा नियम

१७३९. **श्री चांडक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न-लिखित नियमो तथा विनियमो की कार्यान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है :

(१) अखिल भारतीय सेवाये (सेवा की शर्तें अविशिष्ट विषय) ;

(२) अखिल भारतीय सेवाये (मृत्यु तथा निवृत्ति-उपदान) नियम ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (१) तथा (२) राज्य सरकारों से इन नियमो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसलिये उन्हे इस समय कार्यान्वित करने का प्रश्न नही उठता।

दिल्ली में अपराध

१७४०. **श्री चांडक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अपराधों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इन अपराधों के सम्बन्ध में १९५६ और १९५७ में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) पुलिस सार्वजनिक उद्यानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से गश्त लगाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस कास्टेबिल सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं।

(ख) सार्वजनिक उद्यानों और स्थानों पर होने वाले अपराधों का कोई अलग रिकार्ड नही रखा जाता है।

उर्दू

१७४१. **श्री चांडक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों मे उर्दू को प्रादेशिक भाषा घोषित करने के लिये क्या कोई प्रार्थनाये प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध मे क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार) : (क) राज्य पुनर्गठन से पूर्व अन्जुमन एतरक्की उर्दू की ओर से कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमे यह प्रार्थना की गई थी कि उर्दू को उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की प्रादेशिक भाषा के रूप म मान्यता दी जाए। इसके बाद, नवम्बर १९५६ मे अन्जुमन की राजस्थान शाखा से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) भाषाई अल्प-संख्यको को संरक्षण देने के लिए सितम्बर, १९५६ में एक ज्ञापन संसद् के समक्ष रखा गया था और उसमें निहित निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं।